

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
दिनांक : संस्था/राजपत्रित/चिअ/एस-2732/2024/

—: आदेश :—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा की गई अभिशंभानुसार डॉ. सुमेर सिंह भाटी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्दी को अपने वर्तमान कार्य के साथ खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर के कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां सामान्य वित्त एवं लेखा नियम-3क के अन्तर्गत अस्थाई तौर पर अग्रिम आदेशों तक प्रदान की जाती है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : संस्था/राजपत्रित/चिअ/एस-2732/2024/62

दिनांक : 26/3/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही।
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित।
5. प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्दी, जिला सिरोही।
6. डॉ. सुमेर सिंह भाटी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्दी, जिला सिरोही।
7. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वैबसाईट पर आज ही अपलोड करें।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6122458

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date :23-03-2024 10:00:07